भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1339
जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।
11 श्रावण, 1946 (शक)

डीपीडीपीए के अंतर्गत नियम बनाने के लिए परामर्श किया जाना

1339. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) के अंतर्गत नियम बनाए जाने के संबंध में सिविल सोसायटी, कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु के विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो परामर्श की अवधि, विचार किए जा रहे प्रश्नों और इसमें शामिल हितधारकों का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)और (ख): डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ('डीपीडीपी अधिनियम') संसद द्वारा 8 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 11 अगस्त, 2023 को इस पर अपनी सहमति दे दी थी। डीपीडीपी अधिनियम में डिजिटल पर्सनल डेटा को इस ढंग से प्रोसेस करने की व्यवस्था की गयी है कि जिससे व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने का अधिकार मिल सके तथा साथ ही कानूनी प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता भी पूरी हो सके। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ('एमईआईटीवाई') ने डीपीडीपी अधिनियम के अनुसार नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

****